

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 848 / 11-सी- FP/UP/ROAD/39999/2019, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 25, 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,  
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.14 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति।

(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/39999/2019)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1183/14-1, दिनांक 09.10.2019  
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

हापुड़ वन प्रभाग

- 1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश आनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।
- 2- प्रस्ताव में इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं की गयी है।
- 3- प्रस्तावित वनभूमि का 1.50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।
- 4- वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु मुहर अंकित नहीं है।
- 5- प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न नहीं है। अतः भाग-4 व भाग-5 प्रस्ताव में संलग्न करें।
- 6- आनलाइन भाग-2 कमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
- 7- गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर सत्यापित संलग्न करें।
- 8- क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।

गाजियाबाद वन प्रभाग

- 1- प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा सूची का सारांश आनलाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित भी संलग्न नहीं है।
- 2- प्रस्ताव में इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं की गयी है।
- 3- प्रस्तावित वनभूमि का 1.50000 माप की रंगीन टोपोशीट सत्यापित संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।
- 4- वन अधिकार अधिनियम-2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु मुहर अंकित नहीं है।
- 5- प्रस्ताव में भाग-4 व भाग-5 संलग्न नहीं है। अतः भाग-4 व भाग-5 प्रस्ताव में संलग्न करें।
- 6- आनलाइन भाग-2 कमांक-5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
- 7- गजट नोटिफिकेशन चिन्हित कर संलग्न किया गया है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित मूल में नहीं है।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

25/10

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-848/11-सी- FP/UP/ROAD/39999/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, हापुड़ एवं गाजियाबाद।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, जोन-5, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, शां० वा० प्रभाग शां० वा०

पत्रांक 2285/14-1 दि० 11-11-2019

प्रतिलिपि आधिसूचक आदेशना जोन-5 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को एवं

प्रेमोद के सम्बन्धित सूचना तत्काल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करी

आ 2 अक्टूबर 2019